

कार्यलय,

शैक्षिक, प्रशासनिक शिक्षा परिषद,

इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

संख्या- शैक्षिका/शैक्षिक सम्बन्ध/2021/3537

दिनांक- 09/08/2021

शैक्षिक, प्रशासनिक शिक्षा परिषद

प्रमाणित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय वाणिज्यिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विदेशीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त शैक्षिक, प्रशासनिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने सम्बन्धित विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यलय में सम्बन्धित समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बन्धित पूर्ण से सम्बन्धित 1. 1235 को सम्बन्धित विस्तार प्रदान करने का निर्णय किया गया।

सम्बन्धित समिति की बैठक में दिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को शैक्षिक, प्रशासनिक शिक्षा परिषद, 20 प्रो. सखनर द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विस्तारित करने के अर्थात् प्रदान करने हेतु सम्बन्धित विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पता एवं नाम : 1235-RADHA GOVIND INSTITUTE OF PHARMACY, 7TH KM BILARI ROAD, CHANDAUSI, MORADABAD-202411

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्थाओं की संख्या द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित शैक्षिक संस्था	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित शैक्षिक संस्था
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बन्धित हेतु शर्तें

- ✓ संस्था 1235 को सम्बन्धित विस्तार प्रदान करने की शर्तें पूरी करने पर पूर्णतः प्रमाणित करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा शैक्षिक, प्रशासनिक शिक्षा परिषद सत्र 2022 तथा शैक्षिक, प्रशासनिक शिक्षा परिषद विनियमनवली 2002, संशोधित विनियमनवली-2016 तथा अन्य विनियमन नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निवेश समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तब तक नहीं देगी जब तक कि वह सत्र 2021-22 हेतु 60 30150,00/- प्रतिवर्ष, 10 वर्षीय अर्थात् पाठ्यक्रम हेतु 60-60000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक साथ 10 वर्षीय पाठ्यक्रमों (10 वर्षीय अर्थात् पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु 60-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समकालीन पर कालांतर द्वारा निर्णय किया जाने वाले छात्रछात्रों को भी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता होगा। शैक्षिक, प्रशासनिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु शैक्षिक का प्रमाणित किया जाता है, जो शैक्षिक की कार्यवाही से सम्बन्धित है।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त शैक्षिक, प्रशासनिक शिक्षा परिषदों तथा उप शैक्षिक, प्रशासनिक शिक्षा परिषदों को सम्बन्धित विस्तार प्रदान) विनियमनवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

इस संस्था में सम्मिलित उद्योग/व्यक्ति संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्रवाई के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्रविधिक विद्या परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रविधिक विद्या विद्या उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बंध उत्पन्न किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संस्था में Mr. नवाचलम द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी जवाब निर्गत किया जाता है जो सम्मिलित प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ किसीका इन कर्मेसी पद/पद/संघ/संस्थित करने वाली संस्था/ई को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्य/वर्क एवं के लिए अधीनस्थ प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यनिर्देशित कार्य करने के पूर्व पीसीआईटी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्ही प्रवेश की (कार्यनिर्देशित के सम्बन्ध में प्रवेश संस्था स्तर पर ही प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन कराया आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्मिलित सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक भूमि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा उपकरण, बाधा किया जाने वाले शुल्क, आवश्यक शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विद्या-व्यवस्था हेतु उपयुक्त वसतलाग उपलब्ध करने के साथ रेगिन वीरुनी के सम्बन्ध में सम्मिलित आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो ने कि संस्था में प्रत्येक संघ/संस्थित पद/पद/संस्था को करवाये जाने हेतु निर्दिष्ट समिति के साथ उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-अवकाश, कर्मीय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पद/पद/संस्था में संभावना में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्मिलित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निर्दिष्टन टाउन यदि संस्था में भूमि, काल, प्रयोग/सज्जा, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीसीआईटी/पीसीआईटी/पीसीआईटी/पीसीआईटी/पीसीआईटी के सम्बन्ध/संस्था उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने प्रवेश नहीं का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसन्धान/कार्य करवायेगी की जायेगी।

(मुनीम कुमार बोगकर)

रक्षित

पृष्ठ-01- प्रविधिक परिषद सम्बद्धता/2021/0538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रविधिक-

राधा गोविन्द इंस्टीट्यूट OF PHARMACY, 7TH KM BILARI ROAD, CHANDAUSI, MORADABAD-202411


(मुनीम कुमार बोगकर)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सञ्चालक।

संख्या- अखिल/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

सञ्चालक दिनांक: 30/04/2022

कार्यालय तालिका

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय सञ्चालित अधीन इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक स्तर 2022-23 हेतु विद्यमान राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त अखिल भारतीय परिषद, उत्तर प्रदेश सञ्चालक ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 28/04/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा स्तर 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटीक पर विचार करते हुए स्तर 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सञ्चालक द्वारा स्तर 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1225-RADHA GOVIND INSTITUTE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एचआईटीसीटीआईटीपीसीआईटी द्वारा स्तर 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा स्तर 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एचआईटीसीटीआईटीपीसीआईटी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा अखिल भारतीय शिक्षा परिषद विनियमकारी 1982, विनियमकारी-2000, सेमेस्टर विनियमकारी-2018 तथा समय-समय पर निहित वास्तविकताओं का अनुपालन करेगी तथा कुल निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कुल तीन वर्षीय पूर्णतः पाठ्यक्रमों हेतु ₹10 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यशील पाठ्यक्रम हेतु ₹10 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यशील पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹10 22500.00/- प्रतिवर्ष कुल ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रिकाओं से कुल के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्मित किये जाने वाले वास्तविक प्रभावों होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाये आवश्यक होगा। परीक्षा निर्धारण समिति द्वारा स्तर 2022-23 हेतु परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है, जो परीक्षा की न्यूनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निहित वास्तविकताओं के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश वास्तव द्वारा निर्मित विनियमों/अतिरिक्त/वास्तविकताओं/निर्देशों एवं निर्देशक, अखिल भारतीय शिक्षा, उत्तर प्रदेश, समुक्त प्रदेश अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बंधने गये विनियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये वास्तविकता है।

- ✓ यदि संस्थान का एम्पाईसीटीईपीसीआई से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है तथा उक्त खात के संबंध में नए, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करने होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सहनक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित कक्षा-निर्धारण प्रारंभ होने के पूर्व एम्पाईसीटीईपीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्डनिर्धारण के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्दिष्ट नवीनताम अंतरिक्ष नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनक, उदाहरण सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त सातवाण उपलब्ध करने के साथ तैयि रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित संयोजित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिती के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भाग, कर्मचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के शोधक स्वीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, इमोजनता, उपकरण एवं अन्य सूच-सूचना एम्पाईसीटीईपीसीआई/परिषद के न्यूनानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Niran

(एल०आर० खान)

सचिव

पुस्तक- इतिहासपरिषद सम्बद्धता/2022/7818-8458

दिनांक: 30/08/2022

जारी है-

एम्पाईसीटीईपीसीआई RADHA GOVIND INSTITUTE OF PHARMACY

Niran

(एल०आर० खान)

सचिव